कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कटनी (मध्य प्रदेश)

क्रमांक/6132/आर0डी0एम0/2020 कटनी दिनांक–15 – 07–2020

–:: संशोधित आदेश ::–

(दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

––00––

कटनी जिले में नोवल कोरोना (COVID-19) वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 40–3/2020–डीएम–आई(ए) दिनांक 17 मई 2020 एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय द्वारा भोपाल के पत्र क्रमांक 164/2020/सी–2 भोपाल दिनांक 18 मई 2020 के द्वारा लाकडाउन आदेश की अवधि को दिनांक 31.05.2020 तक विस्तारित किये जाने के निर्देश के अनुपालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3874/आर डी एम/2020 कटनी दिनांक 03 मई 2020 से प्रतिबंधात्मक आदेश एवं संधोधित आदेश क्रमांक 3922/आर डी एम/2020 कटनी दिनांक 05 मई 2020 को जारी किया गया है।

भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 40–3/2020–डीएम–आई(ए) दिनांक 30 मई 2020 एवं म0प्र0 शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 189/2020/सी–2 भोपाल दिनांक 31 मई 2020 एवं पत्र क्रमांक 195/2020/सी–2 भोपाल दिनांक 07.06.2020 के परिपालन में तथा **जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह (District Crisis Management Group) की बैठक दिनांक 08.06.2020** में सर्वसम्मिति से लिये गये निर्णय अनुसार एवं इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 3874/आर डी एम/2020 कटनी दिनांक 03 मई 2020 एवं आदेश क्रमांक 4526/आर डी एम/2020 कटनी दिनांक 08.06.2020 मे उल्लेखित बिंदुओ के पालन के साथ–साथ **म.प्र. शासन शासन गृह विभाग के पत्र क्रमांक 206/2020/सी–1 भोपाल दिनांक 14.07.2020 के द्वारा** कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये है, जो कि निम्नानुसार है–

1. कोई भी धार्मिक कार्य /त्यौहार का आयोजन सार्वजानिक स्थलो पर नही किया जायेगा न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानो पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकि आदि स्थापित नही की जायेगी। सर्व संबंधितों से अपेक्षा है कि अपने–अपने घरों से पूजा/अराधना करेंगे।
2. धार्मिक/उपासना स्थलो पर कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिये आवश्यक है कि एक समय मे 05 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हो। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानको का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. विवाह समारोह मे मेहमानो की संख्या 20 से अधिक नही होगी। इसमें वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10–10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही होंगे।
4. अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमो में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नही है, और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये। अतः यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। ऐसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जन संपर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि आदेश का समाचार के रूप में समाचार पत्रों में तथा रेडियो एवं दूरदर्शन पर जन सामान्य/संबंधितों को उक्त आदेश से अवगत कराया जावे। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी भी इस आदेश से सामान्य जन एवं संबंधितो को अवगत करावे।

यह आदेश के उल्लंघन पर आई.पी.सी. की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 के तहत् यथास्थिति दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा ।

(शशिभूषण सिंह)(IAS)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

Scanned with CamScanner

कटनी दिनांक- 15 - 07-2020

क्रमांक/6132/आर0डी0एम0/2020

प्रतिलिपिः- **सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

01:- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन/गृह/स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।

02:- कमिश्नर महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

03:- पुलिस अधीक्षक कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। एवं समस्त थाना प्रभारियों को उपलब्ध कराते हुये आदेश एवं निर्देश का सख्ती से पालन कराये जाने हेतु।

04:- अपर जिला मजिस्ट्रेट, कटनी की ओर सूचनार्थ।

05:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।

06:- उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं अनु विभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी/विजयराघवगढ/बहोरीबंद/ढीमरखेडा की ओर सूचनार्थ एवं आदेश निर्देशो का सख्ती से पालन कराये जाने हेतु।

07:- तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कटनी/रीठी/बड़वारा/बरही/विजयराघवगढ/बहोरीबंद/ढीमरखेडा/स्लीमनाबाद

08:- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कटनी की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

09:- आयुक्त नगर पालिक निगम/नगर परिषद कैमोर, विजयराघवगढ,बरही की ओर सूचनार्थ।

10:- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) जिला कटनी की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11:- समस्त कार्यालय प्रमुख .... कटनी की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12:- जिला जनसंपर्क अधिकारी कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला -कटनी

Scanned with CamScanner